

कार्यालय नियंत्रक

गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर

पत्रांक: वि0नि0/बजट/म0भत्ता/469/129

दिनांक: 01 मई, 2019

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय एवं फार्म के कार्मिकों, को निम्नलिखित शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रियान्वित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्रम सं०	शासनादेश संख्या	विषय	महंगाई भत्ते की दर
1	2	3	4
1.	संख्या 18(1)/XXVII (7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23/01/2019	साधारण यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण भत्ता के संबंध में।	
2.	संख्या 21(1)/XXVII (7)18-50(14)/2017 दिनांक 23/01/2019	दि० 01/02/2019 से भत्तों को समाप्त किये जाने के संबंध में।	निम्न भत्ते समाप्त किये गये हैं:- 1. स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता। 2. प्रतिनियुक्ति भत्ता। 3. प्रशिक्षण भत्ता। 4. जी.पी.एफ. पासबुक रखरखाव के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता। 5. कैश (रोकड) भत्ता। 6. द्विभाषी भत्ता/कम्प्यूटर भत्ता। 7. आई.पी.ए.ओ. भत्ता (कोषागार/उपकोषागार)। 8. सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता। 9. स्तानकोत्तर भत्ता। 10. राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों को देय लेखन सामग्री भत्ता। 11. लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नियोजन/डिजाइन/शोध/प्रशिक्षण अन्वेषणालय हेतु विशेष वेतन एवं सहायक प्रतिप्रति भत्ता। 12. अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता। 13. अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता। 14. स्पेशल टॉस फोर्स (एस०टी०एफ०) को अनुमन्य विशेष भत्ता। 15. सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।

Contd....2

3.	संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 56(1)/XXVII (7)18-50(14)/2017 दिनांक 15/02/2019	स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता को यथावत् (फ्रीज) रखे जाने के संबंध में।	ऐसे कार्मिकों को जिन्हें स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता स्वीकृत है, को उक्त भत्ते की अनुपरीक्षित वेतनमान (छठवें वेतनमान) में देय धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् (फ्रीज) रखते हुए अनुमन्य किया गया है।
----	---	--	---

अतः उपर्युक्त शासनादेशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय फार्म के कार्मिकों हेतु शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि शासनादेश।

नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)/समस्त उप नियंत्रक/समस्त लेखाधिकारी/लेखाकार वेतन प्रकोष्ठ/प्रोग्रामर नियंत्रक कार्यालय।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।


नियंत्रक

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0-सा0 नि0) अनुभाग-7
संख्या: 18 /XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या-78/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों द्वारा यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पूर्ण में निर्धारित दरों को अतिक्रमित करते हुये यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से व्यवस्था उपबन्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) साधारण यात्रा भत्ता।

(धनराशि ₹0 में)

क. सं.	वेतन स्तर	यात्रा की श्रेणियां			प्रदेश के भीतर		प्रदेश के बाहर		सड़क किलो मीटर भत्ता (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन की "स्थायी यात्राओं" (केवल प्रदेश के बाहर के मामलों में लागू) हेतु अधिकतम सीमा
		वायुमन	रेल	सड़क	अवस्थापन (Accommodation)	दैनिक भत्ता	अवस्थापन (Accommodation)	दैनिक भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 एच उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शाताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/बोल्डो	2000	700	6500	800	12	वास्तविक
2	13 ए. से 15	इकोनोमी	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शाताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/बोल्डो	1500	600	4500	700	10	वास्तविक
3	10 से 13	-	ए.सी. टू टियर/ए.सी. वेयर कार	ए.सी. बस	1000	450	2250	500	08	200
4	6 से 9	-	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. वेयर कार	ए.सी. बस	400	350	750	400	07	150
5	1 से 5	-	स्लीपर क्लास/साधारण वेयर कार	साधारण बस	250	250	450	300	07	100

- (1) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों वहां पर ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी. बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य कार्मिक डीलक्स/साधारण बस से यात्रा हेतु अधिकृत होंगे।
- (2) शासकीय गैरट हाउस/विश्राम गृहों/होटल आदि में अवरथान की दशा में तालिका के स्तम्भ-6 अथवा 8 में अंकित धनराशि जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम सीमा तक दैनिक आधार पर अवरथान भत्ता, स्तम्भ-7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में बिल/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) उक्त तालिका के स्तम्भ-7 अथवा 9 जैसी भी स्थिति हो, में अनुमन्य दैनिक भत्ता की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।
- (4) निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध होने पर ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। होटल में यदि सुबह का नाश्ता प्रतिदिन के किराये में शामिल है तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 25 % की कटौती कर ली जायेगी। इसी प्रकार यदि होटल के अवरथान में दो meals शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 50 % की कटौती कर ली जायेगी।

इसी प्रकार यदि तीनों meals अवस्थान में शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 75 %की कटौती कर ली जायेगी।

- (4) निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर तालिका के स्तम्भ-6 अथवा 8 में अनुमन्य दरों के स्थान पर स्तम्भ- 7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, का 1.5 गुना दैनिक भत्ता प्रतिदिन के आधार पर अनुमन्य होगा। निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर अवस्थान भत्ता अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।
- (6) आनुषांगिक व्यय की व्यवस्था समाप्त की जाती है।
- (7) सड़क मार्ग से की जाने वाली लम्बी यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता की अनुमन्यता की शर्तें व दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के प्राविधानानुसार पूर्ववत् रहेंगी।
- (8) किन्हीं अन्य आदेशों/नियमों में व्यवस्था उपबन्धित होते हुए भी उपरिलिखित तालिका में उल्लिखित दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता की अधिकतम दरें ही दैनिक आधार पर अनुमन्य होंगी अर्थात् उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता अतिरिक्त रूप से अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- (9) यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में, निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये सड़क किलोमीटर भत्ता उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-10 अनुरूप ग्राह्य होगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक उक्त स्थानीय/अल्प दूरी सम्बन्धी यात्राओं के लिए स्तम्भ-10 में उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ते की धनराशि का 1.5 गुना अनुमन्य होगा। सड़क किलोमीटर भत्ता की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

(धनराशि ₹0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा श्रेणी			सामान की अधिकतम सीमा एवं दर (30 पैसे प्रति कि.मी. प्रति कुन्तल)	एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान	स्थानान्तरण पर वाहन की दुलाई की प्रतिपूर्ति
		दुलाई	रेल	सड़क			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 ए व उत्तर	विजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शाताब्दी एक्सप्रेस (एकजीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /बोल्डो	60 कुन्तल	50 कि.मी. तक स्थानान्तरण होने की स्थिति में वेतन स्तर के न्यूनतम का 5% तथा 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होने पर वेतन स्तर के न्यूनतम का 20% (अधिकतम ₹0 25000/- धनराशि) एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।	एक मोटर कार अथवा एक मोटर साईकिल /स्कूटर
2	13 ए. से 15	इकोनोमी क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शाताब्दी एक्सप्रेस (एकजीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /बोल्डो	60 कुन्तल	-तदेव-	-तदेव-
3	10 से 13	-	ए.सी. टू टियर/ ए.सी. वेयर कार	ए.सी. बस	60 कुन्तल	-तदेव-	-तदेव-
4	5 से 9	-	ए.सी. थ्री टियर/ ए.सी. वेयर कार	ए.सी. बस	30 कुन्तल	-तदेव-	एक मोटर साईकिल / स्कूटर/ मोपेड/ साईकिल
5	1 से 4	-	स्लीपर क्लास/ साधारण वेयर कार	साधारण बस	15 कुन्तल	-तदेव-	-तदेव-

- (10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति पर भी उक्तानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।
- (11) विदेश यात्राओं हेतु भारत सरकार के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

- (12) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वायुयान की श्रेणियां भारत सरकार में तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप होंगी।
- (13) उक्त दरें दिनांक 01-02-2019 से लागू होंगी लेकिन इस शासनादेश के जारी होने एवं लागू होने की तिथि के मध्य की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा समाप्ति की तिथि को लागू दरें प्रभावी होंगी। परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के लागू होने से पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।
- (14) यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।
- (15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय किये जायेंगे।


/

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 18 (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि० आ०-सा० नि०) अनुभाग-7
संख्या: /XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक 15 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा समाप्त किये गये "स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता" के सम्बन्ध में शारान द्वारा रायक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिकों को, जिन्हें स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता स्वीकृत है, को उक्त भत्ते की अपुनरीक्षित वेतनमान (छठवें वेतनमान) में देय धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् (फ़ीज) रखते हुए अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कार्यालय-ज्ञाप जारी होने के पश्चात् उक्त भत्ता अब स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या-21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 56 (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शारान।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0-सा0 नि0) अनुभाग-7
संख्या: २। /XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक २३ जनवरी, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों को दिनांक 01-02-2019 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) रवैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता।
- (2) प्रतिनियुक्ति भत्ता।
- (3) प्रशिक्षण भत्ता।
- (4) जी0 पी0 एफ0 पारसबुक रखरखाव के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।
- (5) कैंस (रोकड़) भत्ता।
- (6) द्विभाषी भत्ता/कम्प्यूटर भत्ता।
- (7) आई0पी0ए0ओ0 भत्ता (कोषागार/उपकोषागार)।
- (8) सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता।
- (9) रनातकोत्तर भत्ता।
- (10) राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों को देय लेखन सामग्री भत्ता।
- (11) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नियोजन/डिजाइन/शोध/प्रशिक्षण अन्वेषणालय हेतु विशेष वेतन एवं साहायक प्रतिपूर्ति भत्ता।
- (12) अपराध अनुरोधन एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
- (13) अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
- (14) स्पेशल टॉस फोर्स (एस.टी.एफ.) को अनुमन्य विशेष भत्ता।
- (15) सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: २। (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।